उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या–1796/V –2/01(आ0)/2016
देहरादून : दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 की धारा–3 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, शासकीय अधिसूचना संख्या–3240/11–5–88–66डी0ए0/88, दिनांक 19–05–1988 द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र को दूनघाटी विशेष विकास क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित किए जाने की घोषणा की गयी थी।

"उत्तर में टिहरी जनपद के तहसील में स्थित अगलाड़ नदी, पूर्व में सुरकण्डा देवी, कद्दू खाल, उनियाल गांव, दवाला, बनाली के पूर्व में स्थित पर्वतीय श्रृंखला तत्पश्चात् वन द्रभंगा नदी के जलागम में पश्चिमी पर्वतीय श्रृंखला एवं हरिद्वार विकास क्षेत्र की पश्चिमी सीमा तक, दक्षिण में देहरादून जनपद में स्थित शिवालिक पर्वत श्रृंखला के जल विभाजन रेखा एवं पश्चिमी में यमुना नदी तक। दूनघाटी विशेष विकास क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत मसूरी देहरादून विकास क्षेत्र, कैन्टोमेन्ट क्षेत्र, नाविक सैनिक या वायुसेना के किसी प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या उसके द्वारा अधिग्रहित या पट्टे पर ली गई भूमि सम्मिलित नहीं है।"

2– शासकीय अधिसूचना संख्या–3240/11–5–88–66डी0ए0 /88, दिनांक 19.05.1988 द्वारा घोषित दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा में श्री राज्यपाल निम्नानुसार संशोधन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

"जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत मसूरी कैम्पटी मार्ग पर स्थित राजस्व ग्राम सिया कैम्पटी, बंगलों की काण्डी एवं धारगांव की सम्पूर्ण सीमा तथा धनोल्टी राजस्व ग्राम एवं मसूरी से धनोल्टी तक मसूरी–चम्बा मार्ग के दोनों ओर मार्ग मध्य से 200 मीटर अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को छोड़कर जनपद टिहरी गढ़वाल के अवशेष क्षेत्र को दूनघाटी विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र से अवमुक्त किया जाता है।"

3– अधिसूचना दिनांक 19–5–1988 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या–1796/V –2/01(आ0)/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 10 मुद्रित प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या–1795V –2/01(आ0)/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल कैम्प, देहरादून।

2– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3– सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।

5– सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।

6– जिलाधिकारी, देहरादून/टिहरी/हरिद्वार।

7– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव।